मुद्रा का आयात व निर्यात

मुद्रा के आयात व निर्यात से संबंधित दिनांक 19.06.2014 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परि.146 के अनुसार, रु.10000.00 की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति रु.25000.00 कर दिया गया है.

तदनुसार, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति

i) प्रति व्यक्ति रु.25000.00 (रूपए पच्चीस हजार केवल) से अनधिक की राशि के भारत सरकार के मुद्रा नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर (नेपाल व भूटान को छोड़कर) ले जाए जा सकते हैं.

ii) व्यक्ति जो भारत से बाहर अस्थायी यात्रा के लिए गया है, भारत से बाहर (नेपाल व भूटान को छोड़कर) किसी भी स्थान से वापस आते समय प्रति व्यक्ति रु.25000.00 (रूपए पच्चीस हजार केवल) से अनधिक की राशि के भारत सरकार के मुद्रा नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है.